तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./1600/2005/जयपुर जगदीश बनाम तुलसी देवी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री मोहनलाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित

श्री अविनाश माथुर, अधिवक्ता, प्रार्थीगण
श्री विक्रम सिंह राठौड, अधिवक्ता, अप्रार्थी सं0–1 व 2

निर्णय

दिनांक 13.05.2019

प्रार्थीगण ने यह निगरानी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 84 के अन्तर्गत अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर पारित निर्णय दिनांक 16–02–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत, सवाई माधोसिंह पुरा द्वारा बैचाननामें के आधार पर नामान्तरकरण संख्या–67 दिनांक 20–7–2002 को स्वीकृत किया। साथ ही दो अन्य नामान्तरकरण संख्या–66 एवं 68 भी बैचाननामें के आधार पर स्वीकृत किये। ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत इन तीनों नामान्तरकरणों के विरूद्ध अप्रार्थीगण संख्या–1 व 2 ने उपखण्ड अधिकारी के समक्ष तीन पृथक पृथक अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने एकजाई निर्णय दिनांक 19–01–2004 से स्वीकार कर प्रकरण पुनः ग्राम पंचायत को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किये। उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपील संख्या 04/2003 में पारित निर्णय के विरूद्ध प्रार्थीगण ने अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 16–02–2005 से खारिज कर दी। इसी निर्णय से व्यथित

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./1600/2005/जयपुर जगदीश बनाम तुलसी देवी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

होकर प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं अभिलेख के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि प्रार्थीगण को श्योजी पुत्र नारायण जाट ने केवल अपने हिस्से की आराजी में से 03बीघा 02बिस्वा भूमि का बैचान किया था, ना कि कोई विशिष्ठ नम्बर और हिस्सा बेचने में वह स्वतन्त्र था किन्तु अधीनस्थ न्यायालयों ने बिना किसी आधार के इन विक्रयपत्र एवं नामान्तरकरण की कार्यवाही को बंटवारा करना मानते हुए निगराधीन निर्णय पारित कर दिया, जो विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि प्रार्थीगण अपनी खरीदशुद्धा खसरा नम्बर की भूमि पर काबिज है तथा अप्रार्थी भी अपनी खरीदशुद्धा भूमि खसरा नम्बर पर काबिज है, जो अलग अलग है। इस कारण कब्जे की जांच करने या उसे सुनवाई का अवसर प्रदान करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि खातेदार ने विक्रयपत्र में कब्जा देना स्वीकार किया था। उनका कथन है कि नामान्तरकरण विवादास्पद था, जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार ग्राम पंचायत को नहीं था किन्तु उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रकरण ग्राम पंचायत को प्रतिप्रेषित कर विधिक त्रुटि कारित की। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त तथ्यों एवं विधिक स्थिति की अनदेखी करते हुए निगराधीन निर्णय पारित किये है, जो विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./1600/2005/जयपुर जगदीश बनाम तुलसी देवी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निगराधीन निर्णय को निरस्त किया जाकर ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 67 को बहाल रखा जावे। योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने कथनों के समर्थन में 2008 आरआरटी I पेज 701, 1987 आरआरडी पेज 106 एवं 2005 आरआरटी I पेज 422 पर उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि संयुक्त खातेदारी की भूमि में से केवल हिस्सा विक्रय किया गया था। हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण में खसरा विशेष का अंकन कर नामान्तरकरण स्वीकृत कराया, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। उनका कथन है कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित प्रतिप्रेषित निर्णय में केवल तकनीकी त्रुटि रही है, प्रतिप्रेषित निर्णय के उपरान्त नामान्तकरण तहसीलदार द्वारा स्वीकृत कर दिये जाने के उपरान्त प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील निष्प्रभावी हो जाती है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इन्हीं तथ्यों एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए निगराधीन विधिसम्मत् निर्णय पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी को खारिज किया जावे।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां, पारित निर्णय का अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत, सवाई माधोसिंह पुरा द्वारा बैचाननामें के आधार पर नामान्तरकरण संख्या–67 दिनांक 20–7–2002 को स्वीकृत किया। साथ ही दो अन्य नामान्तरकरण संख्या–66 एवं 68 भी बैचाननामें के

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./1600/2005/जयपुर जगदीश बनाम तुलसी देवी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आधार पर स्वीकृत किये। प्रस्तुत प्रकरण में संयुक्त खातेदारी की भूमि में से केवल हिस्से का विक्रय किया गया था। हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण में खसरा विशेष का अंकन कर ग्राम पंचायत से नामान्तरकरण तस्दीक करवाया जाना विभाजन की श्रेणी में आता है, जिसका क्षेत्राधिकार ग्राम पंचायत, पटवारी व तहसीलदार को नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रतिप्रेषित निर्णय में केवल तकनीकी त्रुटि रही है परन्तु प्रतिप्रेषित निर्णय के उपरान्त नामान्तरकरण तहसीलदार द्वारा ही स्वीकृत किये गये है। प्रस्तुत प्रकरण में यह भी स्वीकृत स्थिति है कि प्रतिप्रेषित निर्णय की पालना हो जाने के पश्चात् उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाती है तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस बिन्दू पर विचार कर लिया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में यह भी स्वीकृति स्थिति है कि उपखण्ड अधिकारी के समक्ष सभी पक्षों ने तीनों नामान्तरकरणों को गलत होना स्वीकार किया गया है। योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने के कारण पूर्णरूपेण चस्पा नहीं होते है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए निगराधीन विधिसम्मत् निर्णय पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होने से पारित निर्णयों में निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। परिणामतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निगराधीन निर्णयों की पुष्टि की जाती है। निर्णय प्रति के साथ नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालयों	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./1600/2005/जयपुर जगदीश बनाम तुलसी देवी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	का अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मोहनलाल नेहरा)** **सदस्य**	